UPJB010010402026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जनपद अमरोहा

पीठासीन अधिकारी–संजय चौधरी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
फौजदारी निगरानी सं०–55/2026
श्रीमती सन्तोष बनाम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि।

आदेश

दिनांकः–03.07.2026

निगरानी की पत्रावली सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई है। इस निगरानी के द्वारा न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन/ जे0 एम 0 , तृतीय, अमरोहा के आदेश दिनांक 21.08.2025 को प्रश्नगत किया गया है, जिसके द्वारा परिवाद संख्या 1194/2025 संतोष बनाम लवकेश आदि, थाना मण्डी धनौरा को बीएनएसएस की धारा 226 के अन्तर्गत खारिज किया गया है।

02. निगरानीकर्ता का यह कहना है कि पर्याप्त साक्ष्य होने के उपरान्त भी परिवाद को खारिज किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, तलबी के स्तर पर घटना के सत्य और असत्य होने का विचार नहीं किया जाता, बल्कि मामले का प्रथम दृष्टया परीक्षण किया जाता है। समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **शमीउल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2019 (3) जे.आई.सी. 687** को प्रस्तुत किया है और निगरानी न्यायालय की शक्ति के सम्बन्ध में **जगमोहन बनाम देवेन्द्र सिंह 2024(3) जे.आई.सी 384** को प्रस्तुत करते हुए प्रश्नगत आदेश को अपास्त किये जाने तथा पुनः सुनवाई के आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

03. विपक्षीगण की ओर से यह आपत्ति की गयी है कि मारपीट विपक्षीगण के साथ की गयी जिस सम्बन्ध में अपराध संख्या 343/2024 थाने पर दर्ज हुआ। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र भेजा जा चुका है। समझौते का दबाव बनाने के लिये यह परिवाद दायर किया गया। आरोपित किये गये एक अभियुक्त ललित कुमार घटना के समय विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहा था , यह प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य ने जारी किया है। प्लॉट को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। सिविल प्रकृति का मामला है। परिवाद के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रश्नगत आदेश विधिसम्मत रूप से पारित किया गया है। अतः निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

04. इस मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.12.2024 को निगरानीकर्ता ने परिवादिया के रूप में मजिस्ट्रेट न्यायालय को अवगत कराया कि थाना धनौरा मण्डी क्षेत्र में स्थित गाटा संख्या 49, रकबा 465 को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। दिनांक 07.12.2024 को प्रातः परिवादिया उक्त प्लॉट पर चार दीवारी का निर्माण करा रही थी तभी विपक्षीगण ने आकर विरोध किया, गालियां दी, परिवादिया के साथ छेड़खानी की, ब्लाउज में रखे बटुए से 250/–रूपये निकाल लिये और थप्पड़ों से मारा पीटा। धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दी गयी इस सूचना को न्यायालय ने परिवाद के रूप में दिनांक 21.12.2024 के आदेश से दर्ज किया। मामले की जांच प्रारम्भ की। परिवादिया, उसके पति और अन्य व्यक्तियों का साक्ष्य अंकित किया और मामले में विरोधाभास पाते हुए आदेश दिनांक

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.07.03 16:30:23 EDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

21.08.2025 से परिवाद को खारिज कर दिया। इसी मध्य मामले के विपक्षीगण में से विपक्षी संख्या 4 बलदेव की ओर से इस मामले की निगरानीकर्ता/परिवादिया संतोष देवी , उसके पति व अन्य लोगों के विरूद्ध दिनांक 07.12.2024 की प्रातः की ही घटना और अपने प्लॉट/खेत को घटनास्थल बताते हुए मारपीट के आरोप के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 343/2024 दर्ज करवायी। यह रिपोर्ट दिनांक 12.12.2024 को दर्ज हुई, इसी दिनांक 12.12.2024 को इस मामले की प्रार्थिया संतोष देवी के द्वारा पुलिस अधीक्षक को अपने साथ हुई घटना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र भेजा जाना बताया है। इस प्रकार दिनांक 07.12.2024 को खेत पर दोनों पक्षों ने एक– दूसरे के विरूद्ध मारपीट के आरोप लगाते हुए पुलिस को प्रार्थना पत्र दिये जिनमें से विपक्षी का मुकदमा दर्ज हो गया और निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज होने के उपरान्त खारिज कर दिया गया जिससे दुखी होकर यह निगरानी दायर की गयी है।

05. प्रश्नगत आदेश दिनांक 21.08.2025 से विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि मामला सिविल प्रकृति का है। भूमि के स्वामित्व का विवाद है और गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। विरोधाभास के सम्बन्ध में विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश की मद संख्या 20 में यह वर्णन किया है कि '' *पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के संयुक्त अवलोकन से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि परिवादिनी एवं उसके द्वारा परीक्षित गवाहों ने कथित घटना का सामान्य विवरण अवश्य प्रस्तुत किया है, किन्तु उनके बयानों में आपसी विरोधाभास विद्यमान है। परिवादिनी ने रूपये ब्लाउज में रखे बटुए से निकाले जाने की बात कही है, जबकि सी.डब्लू. 1 राजेन्द्र सिंह ने बटुए से रूपये निकालने एवं उसका गिर जाना बताया है तथा सी.डब्लू. 2 सतीश कुमार ने पर्स से रूपये निकालने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार मारपीट के सम्बन्ध में भी परिवादिनी केवल थप्पड़ मारने तक सीमित रही, जबकि सी.डब्लू. 1 राजेन्द्र सिंह ने थप्पड़ मारने किन्तु कोई चोट न आने की बात कही और सी.डब्लू. 2 सतीश कुार ने सामान्य मारपीट एवं कपड़े फाड़े जाने का उल्लेख किया है। इन अंतर्विरोधों एवं स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह के अभाव के कारण मौखिक साक्ष्यों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और परिवादिनी के कथन की पुनरावृत्ति मात्र प्रतीत होती है।*''

06. गवाहों के बयानों में विरोधाभास के सम्बन्ध में प्रश्नगत आदेश का उपरोक्त खण्ड यह दर्शा रहा है कि विरोधाभास तात्विक प्रकृति का नहीं है , जिन विरोधाभासों को न्यायालय ने उल्लेखनीय पाया है, वह सामान्य प्रकृति के हैं और इस स्तर पर साक्ष्य के इतने गंभीर विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस के दौरान यह स्वीकार किया गया कि प्लॉट को लेकर विवाद है। घटना के दिन इसी प्लॉट पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इस विवाद के सम्बन्ध में हमलावर कौन था , इस विषय पर दोनों पक्ष एक दूसरे को हमलावर और स्वयं को पीड़ित होना बता रहे हैं। ऐसी अवस्था में एक पक्ष की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के कारण इस तथ्य का कोई महत्व नहीं रह जाता कि मामला सिविल प्रकृति का है और चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अन्य घटना को लेकर नहीं हुई है, बल्कि एक ही दिन को एक ही घटनास्थल पर एक ही विवाद के कारण हुई है, इसलिए यदि दूसरा पक्ष भी अपना मुकदमा दर्ज करवाना चाहता है तो उससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह दबाव बनाने के लिए ऐसा चाह रहा है। यदि एक पक्ष की दर्ज हो चुकी प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अन्य मामले को लेकर दर्ज हुई होती और यह दूसरा पक्ष किसी अन्य घटना को लेकर मुकदमा लिखवाना या दर्ज करवाना चाहता तो यह बात सुसंगत होती कि संभवत दबाव बनाने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है, परन्तु इस मामले में दबाव बनाने वाला कोई बिन्दु विचारणीय प्रतीत नहीं हो रहा है। गांव के बाहर खेत या प्लॉट पर प्लॉट के पक्षकारों के मध्य किसी विवाद में पक्षकार/परिजनों के अतिरिक्त गांव के अन्य व्यक्तियों का आवश्यक रूप से होना जरूरी नहीं है, जिस एक पक्ष ललित कुमार को विद्यालय में अध्यापन कार्य करता दिखाया गया है , वह विद्यालय घटनास्थल के नजदीक है और घटना के समय पर घटनास्थल का फोटोग्राफ जिसमें पुलिस भी खड़ी है और जो विद्यालय का समय पूरा होने से पहले का होना कथित किया गया है उसमें इस ललित कुमार नामक व्यक्ति की भी उपस्थिति कथित की जा रही है।

07. उपरोक्त परिस्थितियां यह दर्शा रही है कि यह मामला प्रथम दृष्टया इस स्तर का है कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में साक्ष्य लेकर यह तय किया जाने के लिये कि घटना सही है अथवा नहीं परीक्षण प्रारम्भ करने के लिए आरोप तय किये जाने योग्य मामला बन रहा है अथवा नहीं। यह सुस्थापित विधि है कि आरोप के स्तर पर प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से विचार किया जाता है और तलबी का स्तर आरोप से भी पहले का स्तर है , इसलिए तलबी के स्तर पर आरोप से भी कम गंभीर विचार की आवश्यकता है। निश्चित रूप से किसी भी पक्षकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती की वह दो गवाह लाकर किसी भी व्यक्ति को तलब करवा ले, परन्तु इस मामले में दूसरे पक्ष की प्रथम सूचना रिपोर्ट इस स्तर पर इस तथ्य को स्वीकृत तथ्य बना रही है कि घटनास्थल पर दोनों पक्ष उपस्थित थे और दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इस मामले में कौन सा पक्ष हमलावर था, यह तय करने के लिए यह विधिसम्मत है कि दूसरे पक्ष के मामले को भी फौजदारी कार्यवाही के लिए अग्रसारित किया जाये।

08. उपरोक्तानुसार प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपास्त किया जा रहा है। विद्वान मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जा रहा है कि पुनः सुनवाई उपरान्त विधिसम्मत आदेश पारित किये जाये।

दिनांक–03.07.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–3
जनपद अमरोहा